28/11/19

वकील वादी व प्रतिवादी सरकार द्वारा
वकील वादी ने वादी नं० PW-1
व वादी नं० 3 PW-2 व गवाह PW-3 व
के बयान लेकर बहस कराये। वादी ओर
साक्ष्य पेश करने नहीं चाहता है
अतः साक्ष्य वादी बंद किये जाने
की आज्ञा दी जाती है पक्षों
ने साक्ष्य पेश करने से इन्कार
किया। वकील वादी व प्रतिवादी
सरकार की बहस सुनी गयी।
पत्रावली का अवलोकन किया
अवलोकन किया तथा मनन किया
गया। अतः वाद वादिनी स्वीकार
होने पाया गया। अतः वाद वादी
स्वीकार किया जाता है नस्तियां
पृथक से हस्ताक्षरित कराकर
आज्ञप्ति किया जाय। पत्रावली
नस्ती हो। पत्रावली नकल के
शुल्क वेयरहाउस तामील
दाखिल दफ्तर हो।